जन सुनवाई कार्यवाही विवरण

मैसर्स रूद्रा माईन्स एण्ड मिनरल्स, प्रस्तावित खनन परियोजना (ग्रेनाईट) के खनन की कलस्टर मय खनन् परियोजना, कलस्टर सं. – 24 (एम. एल. नं. – 23/2020), क्षेत्रफल – 1.00355 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 96650 टन प्रतिवर्ष (रोम) एवं क्लस्टर का कुल क्षेत्रफल – 5.22935 हैक्टेयर, कलस्टर की उत्पादन क्षमता – 590633 टन प्रतिवर्ष (रोम), ग्राम–आलनियावास, तहसील – रियांबड़ी, जिला – नागौर (राजस्थान) में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रियांबड़ी, जिला नागौर की अध्यक्षता में दिनांक 22.03.2023 को सुबह 11:00 बजे भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र (आई.टी. सेन्टर), गांव–अलनियावास, तहसील–रिंयाबड़ी, जिला–नागौर (राजस्थान) में आयोजित जन सुनवाई की कार्यवाही **(Minutes)** का विवरण :–

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसरण में कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के पत्र क्रमांक न्याय/प्रदूषण/ज.सु.2023/1374 दिनांक 14.02.2023 एवं क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल, नागौर के पत्र क्रमांक राप्रनिम/आरओ–नागौर/पी.यू.बी.–142/2124 दिनांक 17.02.2023 के अनुपालना में मैसर्स रूद्रा माईन्स एण्ड मिनरल्स, प्रस्तावित खनन परियोजना (ग्रेनाईट) के खनन की कलस्टर मय खनन् परियोजना, कलस्टर सं. – 24 (एम. एल. नं. – 23/2020), क्षेत्रफल – 1.00355 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 96650 टन प्रतिवर्ष (रोम) एवं क्लस्टर का कुल क्षेत्रफल – 5.22935 हैक्टेयर, कलस्टर की उत्पादन क्षमता – 590633 टन प्रतिवर्ष (रोम), ग्राम–आलनियावास, तहसील – रियांबड़ी, जिला – नागौर (राजस्थान) के खनन से सम्बन्धित जनसुनवाई दिनांक 22.03.2023 को आयोजित की गई। जन सुनवाई में उपस्थित सभी व्यक्तियों का विवरण मय हस्ताक्षर **परिशिष्ट संख्या 01** पर संलग्न है। जनसुनवाई की आम सूचना दो स्थानीय समाचार पत्र दैनिक ढोलामारू समाचार पत्र एवं द इण्डियन

एक्सप्रैस समाचार पत्र में दिनांक 21 फरवरी 2023 (मंगलवार) को प्रकाशित की गई थी जिसकी प्रति **परिशिष्ट संख्या 02** पर संलग्न है।

जनसुनवाई के प्रारम्भ में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के क्षेत्रीय अधिकारी श्रीमती सविता ने सभी आंगतुकों का स्वागत किया। तत्पश्चात श्री गौरी शंकर शर्मा उप खंड अधिकारी रियांबाड़ी, जिला नागौर की अनुमति से जनसुनवाई प्रारम्भ की गई।

श्रीमती सविता, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर ने जनसुनवाई के प्रावधान, उदेद्श्य एवं महत्व तथा प्रस्तावित परियोजना के बारे में जानकारी दी एवं परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी देने हेतु पर्यावरणीय सलाहकार को जनसुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं ग्रामवासियों/व्यक्तियों को प्रस्तावित खनन परियोजना के बारे में विस्तार से अवगत कराने बाबत् आमंत्रित किया।

परियोजना प्रबंधक की ओर से खनन परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार विटास्टा इन्वायरों सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड, जयपुर के पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित यादव के माध्यम से जनसुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं ग्रामवासियों/व्यक्तियों को विस्तृत जानकारी दी। खनन परियोजना के सम्बन्ध में, कलस्टर प्रमाण पत्र एवं नक्शा जानकारी, परियोजना की स्थिति, लोकेशन मैप, खनन पट्टे की गूगल इमेजनरी, परियोजना की प्रमुख विशेषताएं, परियोजना का विवरण, क्षेत्र की पर्यावरणीय स्थिति का विवरण, परिवहनभार, पर्यावरण संरक्षण उपाय, खनन की समय सीमा समाप्ति पर भूमि का उपयोग, पर्यावरण प्रबंधन के साथ हरित पट्टिका का विकास, पर्यावरण प्रबंधन योजना (वायु, जल, ध्वनि, ठोस अपशिष्ठ गुणवत्ता प्रबंधन,) व्यवसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, श्रमिक कल्याण हेतु प्रस्तावित कार्य से संबंधित जानकारी प्रदान की गई। उन्होंने बताया खनन योजना के दौरान ऑवर बर्डन के रूप निकलने वाले अपशिष्ट को अनुमोदित माइंनिंग प्लान के अनुसार इकट्ठा किया जायेगा एवं वृक्षारोपण द्वारा स्थिर किया जायेगा, साथ ही पर्यावरण संरक्षण की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित खनन परियोजना से होने वाले प्रदूषण, उसके प्रंबधन तथा मण्डल मानकों के अनुरूप रोकथाम करने के प्रस्तावित प्रयासों से अवगत कराया। साथ ही

वृक्षारोपण, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सी.एस.आर.), व्यवसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के सम्बन्ध में भी जानकारी दी गई।

श्रीमती सविता, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर एवं श्री गौरी शंकर शर्मा उप खंड अधिकारी रियानबाड़ी जिला नागौर की ओर से जनसुनवाई में उपस्थित लोगों को अपने विचार/आपत्ति सुझाव प्रकट करने के लिए आंमत्रित किया गया। उपखण्ड अधिकारी महोदय ने जनसुनवाई में उपस्थित लोगों को बताया कि आप सभी ने परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रोजेक्ट के बारे में जो भी बताया है आपकी तरफ से जो भी आपेक्ष/सुझाव हो उसका जवाब दिया जायेगा।

उपखण्ड जिला अधिकारी महोदय द्वारा गांव वालों को खान से कोई आपत्ति के बारें में पूछा तथा बताया की अगर कोई समस्या हो तो आप लिखित में भी अपना सुझाव दे सकते है।

इसी क्रम में श्री ब्रहदेव शर्मा निवासी आलनियावास ने सुझाव दिया कि जो पौधारोपण सार्वजनिक स्थानो पर लगाये जाए उनमे पंचायत की सहभागिता रखी जाये तथा गांव के विकास कार्यक्रमो में भी पंचायत की सहभागिता दर्ज की जाए। पूर्व की अन्य खनन परियोजनाओ द्वारा खनन के दौरान मलबा खनन क्षेत्र के बाहर डाला जाता है जिसे रोका जाए। क्षेत्र के कुशल श्रमिको को भी रोजगार में प्राथमिकता दी जाए।

उपखण्ड जिला अधिकारी द्वारा गांव वालों से बार–बार पूछा की किसी सुझाव और अगर कोई आपत्ति हो तो बताए।

अतं में गांव वालों के खान के बार मे कोई आपत्ति नहीं है बताया और कहा हमे इस खान से कोई दिक्कत नहीं हैं।

जनसनुवाई से पहले, दौरान एवं जनसुनवाई के पश्चात उक्त खनन परियोजना से संबंधित कोई भी सुझाव/ अभ्यावेदन/प्रार्थना पत्र लिखित में प्राप्त नहीं हुए है।

Savita

अन्त में क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा जनसुनवाई के दौरान ग्रामवासियों /व्यक्तियों का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद के साथ श्री गौरी शंकर शर्मा उप खंड अधिकारी रियानबाडी जिला नागौर की अनुमति से पर्यावरणीय जनसुनवाई की समाप्ति की घोषणा के साथ जन–सुनवाई की कार्यवाही सम्पन्न की गई।

जन सुनवाई की विडियो रिकॉर्डिंग व सी.डी. संलग्न है।

श्री गौरी शंकर शर्मा

उप खंड अधिकारी
रियानबाड़ी नागौर (राज.)
(राज.)

श्रीमती सविता
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल नागौर,

उपस्थिति पत्रक

ग्रेनाईट खनिज कलस्टर (Ref. No.20201000029481, M.L. No. 124/2019 and M.L. No. 125/2019) खनन परियोजना, कुल कलस्टर क्षैत्रफल 5.22935 हैक्टयर, कुल कलस्टर उत्पादन क्षमता 590633.2 टीपीए (आर.ओ.एम.), ग्राम आलनियावास, तहसील रियांबाडी, जिला नागोर (राज.) आवेदन कर्ता श्री रुद्रा माइन्स एण्ड मिनरल्स, रेफरेन्स नम्बर 20201000029481, उत्पादन क्षमता 96650 TPA (ROM) ग्राम आलनियावास, तहसील रियाबडी, जिला नागौर की पर्यावरण स्वीकृती हेतु लोक सुनवाई।

स्थान- भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र (आई. टी. सेन्टर) ग्राम आलनियावास, तहसील रियांबाडी, जिला नागोर (राज.)

दिनांक 22/03/2023

समय प्रातः 11:00 बजे से।

क्र. सं.	नाम व पता	हस्ताक्षर
1.	Savita, RO, RSPCB, Nagaur	Savita
2.	Gauri Shankar Sharma, SDM, Riyabadi	[signature]
3.	Tejraj Gaur, RGB, RSPCB, Nagaur	[signature]
4.		
5.	RAHUL TAK Kishangarh	[signature]
6.	ANSHUL GARG Kishangarh	[signature]
7.	उमराव अली सूरजगढ़	उमराव अली
8.	बाबू लाल आलनियावास	बाबू लाल
9.	तिलोकचंद आलनियावास	तिलोकचंद
10.	बली आलनियावास	बली
11.	ओमप्रकाश मेहरा किशनगढ़	[signature]
12.	देवीलाल [illegible] आलनियावास	[signature]
13.	रतनलाल आलनियावास	
14.	[illegible] आलनियावास	[signature]
15.	ओंकारसिंह किशनगढ़	ओंकार सिंह
16.	पन्नालाल शर्मा आलनियावास	पन्नालाल शर्मा
17.	सतीश मे. आलनियावास	सतीश
18.	अमित यादव Vitasta, Jaipur	[signature]
19.	Simran Singhal Vitasta, Jaipur	[signature]
20.	Mahendra [illegible]	Mahendra

उपस्थिति पत्रक

ग्रेनाईट खनिज कलस्टर (Ref. No.20201000029481, M.L. No. 124/2019 and M.L. No. 125/2019) खनन परियोजना, कुल कलस्टर क्षेत्रफल 5.22935 हैक्टयर, कुल कलस्टर उत्पादन क्षमता 590633.2 टीपीए (आर.ओ.एम.), ग्राम आलनियावास, तहसील रियांबाडी, जिला नागोर (राज.) आवेदन कर्ता श्री रुद्रा माइन्स एण्ड मिनरल्स, रेफरेन्स नम्बर 20201000029481, उत्पादन क्षमता 96650 TPA (ROM) ग्राम आलनियावास, तहसील रियाबडी, जिला नागौर की पर्यावरण स्वीकृती हेतु लोक सुनवाई।

स्थानः– भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र (आई. टी. सेन्टर) ग्राम आलनियावास, तहसील रियांबाडी, जिला नागोर (राज.)

दिनांकः– 22/03/2023

समयः– प्रातः 11:00 बजे से।

क्र. सं.	नाम व पता	हस्ताक्षर
21.	Sanjay Chowdhary Jaipur	Sanjay
22.	MUKESH KHOKHAR AJMER	[signature]
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		
29.		
30.		
31.		
32.		
33.		
34.		
35.		
36.		
37.		
38.		
39.		
40.		

jagah banao

ans

0%*

nwards

aked

NETWORK HDFC3318-22

Scan for a
Home Loan

More details can be obtained from the notice board of the office of the undersigned or log on to institute's website **www.mpsfri.org**

Director

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड, पुलिस लाइन के सामने,
नागौर- 341001 (राज.) इ.मेल-rorpcb.nagaur@gmail.com

क्रमांक-राप्रनिम / आरओ-नागौर/पी.यू.बी-142/2129

दिनांक : 17.02.23

पर्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना हेतु लोकसुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ''ग्रेनाइट माइनिंग क्लस्टर प्रोजेक्ट (एम. एल. नं. 23/2020, 124/2019, 125/2019, Ref No. 2020100002948 1), कुल क्लस्टर क्षेत्र- 5.22935 हैक्टेयर कुल अनुमानित क्लस्टर उत्पादन क्षमता 5,90,633, TPA(ROM)" आवेदक श्री रूद्रा माइन्स एण्ड मिनरल (Ref no. 2020100002948 1) क्षेत्र. 1. 00355 हैक्टेयर खसरा नं. 1650, अनुमानित खनन उत्पादन क्षमता 96,650 TPA (ROM) (सेलेबल मिनरल 53,157 TPA & वेस्ट मिनरल 43,493 TPA), गांव- आलनियावास तहसील- रियाबडी जिला -नागौर से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल(यहॉ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि श्री रूद्रा माइन्स एण्ड मिनरल ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह, खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मंण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस. ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जनसुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।

3. उक्त समूह खनन परियोजन से समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है:-

1. जिला कलक्टर नागौर
2. CEO जिला परिषद् नागौर
3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल मुख्यालय 4-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
4. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर।
6. उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी।
7. क्षेत्रीय प्रबन्धक रिको, नागौर।
8. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर।
9. ग्राम पंचायत आलनियावास।
10. भारत का निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र (आई.टी सेन्टर) निवासी रियांबड़ी जिला नागौर।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के पत्र क्रमांक न्याय /प्रदूषण/ ज.सु /2023/374 दिनांक 14.02.2023 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है।कि उक्तसमूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 22/03/2023(बुधवार) को प्रातः 11:00 बजे, स्थान- भारत का निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र (आई.टी सेन्टर) निवासी रियांबड़ी जिला नागौर में उपस्थित होकर अपने लिखित / मौखिक आक्षेप /सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

इस संबंध में लिखित आक्षेप / सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर, जिला नागौर को भी दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से सम्बंधित केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवम अधीन रहेगी तथा सभी समय प्रावधानो/सावधानियों की पालना करनी होगी।

भवदीय
(सविता)
क्षेत्रीय अधिकारी

CIN: L65

IDBI Ba
for its b
Age (as
Qualific
Work E

Online
NOTE:
assign
the sel
www.i
regular
Place -

CIN No

IDBI E
Mana
Mana

Sr.
No.
1
2

Onlin
NOTE
assign
selecti
www.i
visit th
Place
Date -

मांकरोद गांव के पास शाम करीब 6 बजे एक प्राइवेट बस और ट्रेलर की आमने सामने जोरदार भिडंत हो गई। इस हादसे में बस में सवार 11 यात्री घायल हो गए। हादसे इतना भीषण था की बस सड़क के पास बने खड्डे में बस जा गिरी।

इस हादसे के बाद सड़क पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। पास ही होटल पर बैठे लोगो ने घायल यात्रियों को बस से बाहर निकाला। फिलहाल इस भीषण ... पहुंची है वही घायलों को एंबुलेंस की मदद से नागौर के जेएलएन अस्पताल लाया गया है जहा उनका इलाज जारी है। वही पुलिस ने दोनों ही बसों को सड़क मार्ग से हटाया है जिससे ट्राफिक क्लियर हुआ है।

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्रथम चरण, सरकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड़, पुलिस लाइन के सामने, नागौर – 341001 (राज.), इ–मेल–rorpcb.nagaur@gmail.com

क्रमांक :–राप्रनिम / आरओ–नागौर / पी.यू.बी.–141 / 2129

दिनांक : 17.02.2023

पर्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आमसूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ''ग्रेनाइट माइनिंग क्लस्टर प्रोजेक्ट (एम.एल. नं. 23/2020, 125/2019, Ref. No. 2020100029481), कुल क्लस्टर क्षेत्र–5.22935 हेक्टेयर, कुल अनुमानित क्लस्टर उत्पादन क्षमता 5,90,633 TPA(ROM)'' आवेदक **श्री रूद्रा माइन्स एण्ड मिनरल**, (Ref. No. 2020100029481), क्षेत्र–1.00355 हेक्टेयर, खसरा नं.–1650 अनुमानित खनन उत्पादन क्षमता 96,650 TPA(ROM) {सेलेबल मिनरल–53,157 TPA & वेस्ट मिनरल–43,493TPA} गांव–आलनियावास, तहसील–रियांबड़ी, जिला–नागौर से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चूंकि **श्री रूद्रा माइन्स एण्ड मिनरल**, ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
3. उक्त समूह खनन परियोजना से सम्बन्धित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :–
   1. **जिला कलक्टर, नागौर।**
   2. **CEO जिला परिषद्, नागौर।**
   3. **राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4–संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयुपर।**
   4. **पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।**
   5. **क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर।**
   6. **उपखण्ड अधिकारी, रियांबड़ी।**
   7. **क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, नागौर।**
   8. **जिला उद्योग केन्द्र, नागौर।**
   9. **ग्राम पंचायत, आलनियावास।**
   10. **भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र (आई.टी. सेन्टर) गाँव–आलनियावास, तहसील–रियांबड़ी, जिला–नागौर।**

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के पत्र क्रमांक न्याय / प्रदूषण / ज.सु.2023 / 374 दिनांक 14.02.2023 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु **दिनांक 22.03.2023 (बुधवार)** को **प्रातः 11:00 बजे, स्थान–भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र (आई.टी. सेन्टर) गाँव–आलनियावास, तहसील–रियांबड़ी, जिला–नागौर** में उपस्थित होकर अपने लिखित / मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

इस संबंध में लिखित आक्षेप / सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर, जिला–नागौर को भी दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड–19 से सम्बधित केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवम् अधिन रहेगी तथा सभी प्रावधानों / सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

भवदीय

(सविता) क्षैत्रीय अधिकारी

भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र
ग्राम पंचायत आलनियावास पं.स. भैरून्दा (नागौर)
ई-मित्र